हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर की कार्य परिषद् की दिनांक 12/06/2019 को सम्पन्न पंचम बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित हुये :

1.	**प्रो0 नरेन्द्र बहादुर सिंह** कुलपति, एच0बी0टी0यू0, कानपुर।	अध्यक्ष
2.	**प्रो0 योगेश सिंह,** कुलपति, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, दिल्ली	सदस्य
3.	**प्रो0 मणीन्द्र अग्रवाल** उपनिदेशक, आई0आई0टी0 कानपुर। (शासन स्तर से नामित प्रौद्योगिकविद)	सदस्य
4.	**प्रो0 मुकेश कुमार सिंह** निदेशक, यू0पी0टी0टी0आई, कानपुर (कुलपति, ए0के0टी0यू0, कानपुर के प्रतिनिधि)	सदस्य
5.	**प्रो0 सुमित गांगुली** अधिष्ठाता, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं आटोमेशन आई0आई0टी0 कानपुर। (निदेशक आई0आई0टी0, कानपुर के प्रतिनिधि)	सदस्य
6.	**प्रो0 अनुपम अग्रवाल,** इन्फार्मेशन टेक्नोलाजी विभाग, आई0आई0आई0टी0 इलाहाबाद (निदेशक, आई0आई0आई0टी0 इलाहाबाद के प्रतिनिधि)	सदस्य
7.	**श्री एस0पी0 सिंह,** अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन कानपुर मण्डल (प्रमुख सचिव, वित्त विभाग के प्रतिनिधि)	सदस्य
8.	**श्री अवध किशोर** उपसचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग उ0प्र0 शासन, लखनऊ (सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि)	सदस्य
9.	**श्री राजेश सिंह,** वित्त नियंत्रक, एच0बी0टी0यू0 कानपुर	विशेष आमंत्री
10.	**प्रो0 मनोज कुमार शुक्ला,** कुलसचिव, एच0बी0टी0यू0 कानपुर	सदस्य–सचिव

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित नहीं हो सके:

1.	**प्रो0 करूणाकर सिंह,** प्रतिकुलपति, एच0बी0टी0यू0 कानपुर	सदस्य
2.	**प्रो0 राजीव त्रिपाठी** निदेशक, एम0एन0आई0टी0, प्रयागराज	सदस्य
3.	**प्रमुख सचिव** उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ।	सदस्य

परिषद् के सदस्य–सचिव द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया एवं अध्यक्ष, कार्य परिषद् की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

Scanned by CamScanner

5.01 हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर की कार्य परिषद की दिनांक 25/02/2019 को सम्पन्न चतुर्थ बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टीकरण।

परिषद् ने विश्वविद्यालय की दिनांक 25/02/2019 को सम्पन्न कार्य परिषद् की चतुर्थ बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण किया।

5.02: हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर की कार्य परिषद की दिनांक 29/12/2018 को सम्पन्न तृतीय बैठक में लिए गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही।

परिषद् ने 29/12/1018 को सम्पन्न तृतीय बैठक में लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में निम्न निदेश दिये:

1. मद सं0 4.02 के बिन्दु 2 के सापेक्ष Asset Management Company सम्बन्धी कार्यवाही को शीघ्रातिशीघ्र सम्पन्न किया जाय।
2. मद सं0 4.02 के बिन्दु 3 के सापेक्ष विश्वविद्यालय कुलगीत गायन की रिकार्डिंग प्राथमिकता पर की जाय।
3. मद सं0 4.02 के बिन्दु 5 के सापेक्ष भूमि सम्बन्धी मामलों के जानकार अधिवक्ता/सेवानिवृत्त लेखपाल या तहसीलदार इत्यादि की सेवा प्राप्त करने सम्बन्धी कार्य 01 माह में कुलसचिव द्वारा सम्पन्न की जाय।

अवशेष कृत कार्यवाही पर परिषद् ने संज्ञान लेते हुये सन्तोष व्यक्त किया।

5.03: विश्वविद्यालय की वित्त समिति की दिनांक 30.05.2019 को सम्पन्न सप्तम बैठक के कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान करने के सम्बन्ध में।

परिषद् ने विश्वविद्यालय वित्त समिति की दिनांक 30/05/2019 को सम्पन्न सप्तम बैठक के कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान किया।

5.04: विश्वविद्यालय की भवन निर्माण समिति की दिनांक 28.05.2019 को सम्पन्न चतुर्थ बैठक के कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान करने के सम्बन्ध में।

परिषद् ने विश्वविद्यालय भवन निर्माण समिति की दिनांक 28/05/2019 को सम्पन्न चतुर्थ बैठक के कार्यवृत्त का संज्ञान लेते हुए निदेशित किया कि नवीन कार्यों का संशोधित आगणन एवं प्रस्ताव प्राप्त करते हुये प्राथमिकता पर कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

5.05: हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की दिनांक 29.05.2019 को सम्पन्न चतुर्थ बैठक के कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान करने के सम्बन्ध में।

परिषद् ने विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की दिनांक 29/05/2019 को सम्पन्न चतुर्थ बैठक के कार्यवृत्त पर निदेश दिये कि ई0डब्लू0एस0 (Economical Weaker Section) के आधार पर बढी छात्र संख्या के सापेक्ष अभातशिप शिक्षक छात्र अनुपात के मानक के अनुसार आवश्यक शैक्षिक एवं गैर शैक्षणिक पदों का विवरण परिषद् की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय। परिषद् ने उक्त निदेशों के साथ अवशेष कार्यवृत्त पर अपना अनुमोदन प्रदान किया।

5.06: विश्वविद्यालय की शोध एवं विकास परिषद की दिनांक 30.05.2019 को सम्पन्न प्रथम बैठक का कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान करने के सम्बन्ध में।

परिषद् ने विश्वविद्यालय की शोध एवं विकास परिषद की दिनांक 30/05/2019 को सम्पन्न प्रथम बैठक के कार्यवृत्त को संज्ञान में लिया।

Scanned by CamScanner

5.07: विश्वविद्यालय की उद्भवन परिषद की दिनांक 29.05.2019 को सम्पन्न प्रथम बैठक का कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान करने के सम्बन्ध में।

परिषद् ने विश्वविद्यालय की उद्भवन परिषद की दिनांक 29/05/2019 को सम्पन्न प्रथम बैठक के कार्यवृत्त को संज्ञान में लिया।

5.08: विश्वविद्यालय में संचालित पं0 दीन दयाल उपाध्याय गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (डा0ए0पी0जे0अ0क0 प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा पोषित) एवं रूसा (RUSA) परियोजना की प्रगति आख्या के सम्बन्ध में।

परिषद् ने विश्वविद्यालय की संचालित पं0 दीन दयाल उपाध्याय गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (डा0ए0पी0जे0अ0क0 प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा पोषित) एवं रूसा (RUSA) परियोजना की वर्तमान प्रगति आख्या पर संतोष व्यक्त करते हुये समयबद्ध रूप से कार्य करने का निर्देश दिया।

5.09: विश्वविद्यालय में संचालित भारत सरकार की विश्व बैंक सहायतित परियोजना TEQIP-III के सुचारू संचालन हेतु कुलपति/अध्यक्ष कार्यपरिषद द्वारा समय–समय पर लिए गए निर्णयों को परिषद के संज्ञान में लाये जाने के सम्बन्ध में।

परिषद् ने विश्वविद्यालय में संचालित भारत सरकार की विश्व बैंक सहायतित परियोजना TEQIP-III के सुचारू संचालन हेतु कुलपति/अध्यक्ष कार्यपरिषद द्वारा समय–समय पर लिए गए निर्णयों का संज्ञान लेते हुये कार्येत्तर अनुमोदन प्रदान किया। साथ ही समयबद्ध रूप से कार्य सम्पादित किये जाने की अपेक्षा की।

5.10: विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न स्नातक विधाओं का राष्ट्रीय प्रत्यायन समिति (National Board of Accreditation) द्वारा दिनांक 05–07, अप्रैल 2019 तक निरीक्षण उपरान्त अनुमोदन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

परिषद् ने राष्ट्रीय प्रत्यायन समिति (National Board of Accreditation) द्वारा दिनांक 05–07, अप्रैल 2019 तक निरीक्षण उपरान्त विश्वविद्यालय को प्राप्त सम्पूर्ण रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय (पूर्ववर्ती संस्थान) में सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एवं कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग विधाओं का प्रत्यायन न किये जाने पर परिषद् सदस्यों ने आश्चर्य व्यक्त किया। परिषद् ने निदेश दिये कि उक्त विधाओं को प्रत्यायनित किये जाने पर पुनर्विचार हेतु औचित्यपूर्ण अपील एन0बी0ए0, नई दिल्ली के समक्ष की जाये। साथ ही परिषद् ने विश्वविद्यालय के आयल टेक0, पेन्ट टेक0, प्लास्टिक टेक0 एवं इलेक्ट्रानिक्स इंजी0 विधा का 03 वर्षों के लिये प्रत्यायन होने पर सन्तोष व्यक्त किया।

5.11: डा0 कृष्णराज, प्रोफेसर, इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग विभाग को दिनांक 25.01.2015 से प्रोफेसर पद एवं वेतन बैण्ड रु0 37400–67000 +ए0जी0पी0 रु0 10000 में वेतन निर्धारण किये जाने के प्रकरण पर विचार।

परिषद् डा0 कृष्णराज, प्रोफेसर, इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग विभाग के सम्पूर्ण प्रकरण से संज्ञानित हुई। परिषद् द्वारा मत स्थिर किया गया कि प्रो0 कृष्ण राज का सीधी भर्ती से तत्समय सहाकय प्रोफेसर (वर्तमान एशोसिएट प्रोफेसर) पद पर चयन हुआ है। शासन द्वारा अन्य पूर्ववर्ती संस्था की सेवाओं को समस्त सेवा सम्बन्धी प्रयोजनों हेतु जोडे जाने के लिये शासनादेश सं0 917/सोलह–1–08–8(4)/05 दिनांक 06/04/2009 निर्गत किया गया है, जिसमें शासनादेश सं0 2846/सोलह–प्रा0शि0–2–172/ई/91 दिनांक 08/10/1997 सन्दर्भित है। शासनादेश सं0 2846/सोलह–प्रा0शि0–2–172/ई/91 दिनांक 08/10/1997

Scanned by CamScanner

कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों की अधीन पूर्व की सेवाओं की गणना के आधार पर पेंशन आगणन के सम्बन्ध में है। अतः प्रकरण पुनर्विचार हेतु शासन को प्रेषित किया जाना उचित था।

प्रकरण में लगभग 02 वर्ष बीत जाने पर भी शासन से पुनर्विचार निर्णय न प्राप्त होने तथा इस सम्बन्ध में विधान परिषद् की विलम्ब समिति में प्रकरण विचाराधीन होने के क्रम में कुलसचिव द्वारा निर्गत आदेश संख्या 215/अदम/ओटी0टी0एससी/वार्षिक वे0वृ0/2019 दिनांक 04/06/2019 को परिषद् ने संज्ञान में लिया। परिषद् द्वारा समस्त तथ्यों को शासन को पुनः सन्दर्भित करने के निदेश दिये गये।

5.12 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से किसी अन्य मद पर विचार।

5.12.01 विश्वविद्यालय परिसर स्थित स्टेप–एच0बी0टी0आई0 में संचालित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को विश्वविद्यालय पूर्वी एवं पश्चिमी परिसर में स्थित छात्रावास की सुविधा अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध मे।

परिषद् ने विश्वविद्यालय परिसर स्थित स्टेप–एच0बी0टी0आई0 में संचालित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को विश्वविद्यालय के रिक्त छात्रावास में ठहरने एवं छात्राओं हेतु पूर्वी प्रांगण स्थित छात्रावास की सुविधा शैक्षिक सत्र 2021–2022 तक विश्वविद्यालय नियमों एवं शर्तों के अधीन अग्रिम आदेशों तक अनुमन्य करने अथवा विश्वविद्यालय हित में किसी भी अन्य निर्णय हेतु अध्यक्ष कार्य परिषद्/कुलपति को अधिकृत किया।

5.12.2 सुश्री अनिता पुरवार, उप पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा विश्वविद्यालय आदेश सं0 1189/अदम/ओटीटीएससी/2018 दिनांक 21.02.19 का अनुपालन न करने के सम्बन्ध में।

परिषद् ने प्रकरण पर विचारोपरान्त निदेशित किया कि सुश्री अनिता पुरवार, उप पुस्तकालयाध्यक्ष को विश्वविद्यालय आदेश सं0 1189/अदम/ओटीटीएससी/2018 दिनांक 21.02.19 के अनुपालन में सेवा में योगदान प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम रूप से 15 दिन का एक और अवसर पुनः प्रदान किया जाय और उन्हें अवगत कराया जाय कि सेवा में योगदान प्रस्तुत किये बिना मॉगा गया अवकाश एवं स्वैच्छिक सेवानिवत्ति स्वीकृत नहीं की जायेगी और अनुशासनहीनता माना जायेगा। यदि सुश्री पुरवार द्वारा सेवा में योगदान प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो गुण दोष के आधार पर जॉच संस्थित करने हेतु अध्यक्ष, कार्य परिषद/कुलपति को अधिकृत किया गया।

(प्रो0 मनोज कुमार शुक्ल)
सचिव

(प्रो0 एन0बी0 सिंह)
अध्यक्ष

Scanned by CamScanner